झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

आदेश

श्री अनुज कुमार, तदेन रोकड़पाल, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद सम्प्रति निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका, मुख्यालय–जिला उद्योग केन्द्र, दुमका को रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा इनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–06 / 06 सम्प्रति वि0वाद सं0–07 / 06 दर्ज किया गया।

उक्त के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–975 दिनांक 20.04.2006 द्वारा निलंबित किया गया तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1313 दिनांक 16.06.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी ब्यूरो, रॉची के पत्रांक 2060 दिनांक 27.05.2006 के आलोक में निदेशालय के आदेश संख्या–1238 दिनांक 05.06.2006 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गयी।

3. न्यायिक हिरासत से रिहा होने के पश्चात् निदेशालय के आदेश संख्या–2510 दिनांक 05.12.2007 द्वारा श्री कुमार निलंबित रोकड़पाल को निलंबन से मुक्त किया गया।

4. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य गठित किया गया कि श्री अनुज कुमार पर लगाये गये आरोप में विशेष न्यायाधीश (निगरानी), राँची के न्यायालय में अंतिम निर्णय पारित होने के उपरान्त ही विभागीय कार्रवाई में अंतिम निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव आरोपी को निलंबन से मुक्त करने एवं न्यायालय से अंतिम निर्णय के प्राप्त होने तक विभागीय कार्रवाई को स्थगित रखने पर विचार किया जा सकता है।

5. निगरानी थाना काण्ड संख्या–06 / 06 सम्प्रति वि0वाद सं0–07 / 06 में माननीय निगरानी न्यायालय, रॉची द्वारा धारा–7 PC Act-1988 के तहत 02 वर्ष कारावास एवं 5000 / –रु0 (पॉच हजार रुपये) जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर 15 दिनों का साधारण कारावास एवं धारा–13(1)D सह पठित 13(2) PC Act-1988 के तहत तीन वर्ष कारावास एवं 9000 / –रु0 (नौ हजार रुपये) जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर 01 (एक) माह का साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

उक्त सजा की सूचना पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रॉची के पत्रांक 3257 अनु0 दिनांक 11.03.2019 द्वारा निदेशालय को प्राप्त हुआ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रॉची से प्राप्त उक्त सजा की सूचना के आलोक में निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 616 दिनांक 22.03.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निदेशालय के पत्रांक 615 दिनांक 22.03.2019 द्वारा श्री कुमार से कारण पृच्छा की गयी कि माननीय निगरानी न्यायालय रॉची द्वारा दोषी पाते हुए दी गयी उक्त सजा के लिए क्यों नहीं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) नियमावली–2016 के नियम–9(2) (ख) एवं नियम–20 तथा नियम–14 (XI) के तहत आपको सेवा से वर्खास्त कर दिया जाय।

उक्त कारण पृच्छा के आलोक में श्री अनुज कुमार निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक द्वारा कारण पृच्छा समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया कि मेरे द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉची में Section-374 (2) of the code of criminal procedure-1973 के अन्तर्गत अपील दायर की गयी है जो सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा स्वीकृत है जिसका नं0–CR Appeal (SJ) No. 166 of 2019 है। माननीय न्यायादेश के आलोक में जुर्माना की राशि क्रमशः रू0 5000/– एवं रू0 9000/– कुल राशि रू0 14000/– (चौदह हजार रुपये) दिनांक 28.02.2019 को जमा करा दिया गया है। मामला Prejudice है। इसलिए अपील के निष्पादन/निर्णय तक कार्य करने की अनुमति दी जाय।

श्री कुमार से प्राप्त उक्त कारण पृच्छा के संदर्भ में विधि (न्याय) विभाग द्वारा दिये गये परामर्श संदर्भ में उल्लेख है कि :–

"It is further relevant to state that the Apex Court has consistently held that pendency of the appeal cannot be a ground to retain a convicted Government servant in service and the order of dismissal of the employee based on conviction is justified in terms of proviso (a) to Article 311(2) of the Constitution of India."

"In view of Article 311(2) or in terms of Service Rules as applicable in the cases of government servant in the State of Jharkhand, an employee who is convicted on the criminal charge can be removed from service with issuance of a show cause notice. That there is no dispute on the issue that no departmental proceeding would be required to be conducted in a case where the person is sought to be removed on the ground of being convicted on a criminal charge but

such a convicted employee cannot be removed by way of dismissal from service without giving a notice.

विधि (न्याय) विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में श्री अनुज कुमार तदेन रोकड़पाल, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद सम्प्रति निलंबित उच्चवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका मुख्यालय–जिला उद्योग केन्द्र, दुमका को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–14 (XI) के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 1729 01/उ0नि0/आरोप–09/06 /रॉची, दिनांक 03-09.2019

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग/पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रॉची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका/महाप्रबन्धक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड एवं श्री अनुज कुमार, निलंबित उच्चवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका, मुख्यालय–जिला उद्योग केन्द्र, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 1729 01/उ0नि0/आरोप–09/06 /रॉची, दिनांक 03-09.2019

प्रतिलिपि :– श्री प्रवीण कुमार, उद्योग निदेशक के गोपनीय कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग